

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ.4717(अ).—केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक स्थल(अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:-

सारणी

अधिकारी का पदनाम (1)	सार्वजनिक परिसर तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं (2)
अधीक्षण अभियंता (इलेक्ट्रिकल), ग्रिड संचालन और रखरखाव प्रभाग-II, मैथॉन, धनबाद, झारखंड	अपने अधिकार क्षेत्र अर्थात्, सब स्टेशन और कॉलोनियाँ –i) रामकनाली (ii) कल्यानेश्वरी (iii) बुरणपुर (iv) कुमारधुबी और हीरापुर, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डिसेरगढ़, रुपनारायणपुर, कुमारधुबी, कुलटी और दाहिनी तट पर अभिग्रहण स्टेशनों की स्थानीय सीमा के भीतर दामोदर घाटी निगम के स्वामित्व में, पट्टे पर या उनके द्वारा किराये पर लिए गए फिटिंग्स और फिक्स्चर्स सहित सभी भूमि, भवन, क्वार्टर, आउटहाउस और अन्य आवास।

[फा.सं. 01/03/2020-डीवीसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4717(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of Gazetted officer in the Government of India, to be estate officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table, namely:—

TABLE

Designation of the officer (1)	Categories of public premises and local limits of jurisdiction (2)
Superintendent Engineer (Electrical), Grid Operations and Maintenance Division-II, Maithon, Dhanbad, Jharkhand.	All lands, buildings, quarters, outhouses and other accommodation including fittings and fixtures owned or leased or rented by Damodar Valley Corporation within the local limits of its jurisdiction, i.e., Sub-Stations and Colonies at (i) Ramkanali, (ii) Kalyaneswari, (iii) Burnpur, (iv) Kumardhubi and Receiving Stations at Hirapur, Chittaranjan Locomotive Works, Disergarh, Rupnarayanpur, Kumardhubi, Kulti and Right Bank.

[F. No. 01/03/2020-DVC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.